

| <p>तारीख हुकम</p> | <p>गोरधनराम बनाम लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार, जोधपुर) सू.अ.अपील संख्या 294 / 2022</p> | <p>न. व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए</p> |
|-------------------|---|--|
| <p>30.09.22</p> | <p>अपीलार्थी गोरधनराम सोनी पुत्र किसनाराम सोनी निवासी मु.पो. जाजीवाल कला, तहसील व जिला जोधपुर ने सूचना का अधिकार के तहत उसके द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 06.06.2022 में उसके द्वारा तहसीलदार, जोधपुर द्वारा जरिये पत्र क्रमांक भू. अ. / 2020 / 5597-98 दिनांक 09.12.2020 से भू.अ. निरीक्षक जाजीवाल कला, पटवारी जाजीवाल कला को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में भू.अ. निरीक्षक व हलका पटवारी द्वारा ग्राम जाजीवाल कला के खसरा न. 38 व 39 का सीमांकन कर सीमांकन रिपोर्ट थानाधिकारी, पुलिस थाना बनाड़ को सीमाज्ञान करवाना बताया गया है। उपरोक्त वर्णित सीमांकन रिपोर्ट की प्रमाणित प्रतिलिपि से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार, जोधपुर) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई।</p> <p>अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पों. पक्ष (तहसीलदार, जोधपुर) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई।</p> <p>हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पों. पक्ष (तहसीलदार, जोधपुर) से आदिनांक तक तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई। अतः अपील स्वीकार की जाती है तथा लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार, जोधपुर) को निर्देशित किया जाता है कि प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना 15 दिवस के भीतर उपलब्ध करावे, अन्यथा नहीं दिये जाने के कारणों से प्रार्थी को अवगत कराया जावे। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।</p> | <p>मांगी गई</p> |